

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरुस्ति


उपस्थित

- 1 प्रार्थी :- मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
- 2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :- 16/01/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरुस्ति का पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता नम्बर 283 खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 10.9518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 7.2085 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 7.0314 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 25.1917 हैक्टेयर व खेत खाता नम्बर 308 खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 43.9715 हैक्टेयर रोही लालगढ़ में संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उपरोक्त खसराजात की भूमि में मुझ प्रार्थी नवलसिंह का नाम खाता नम्बर 283 खसरा नम्बर 112, 554, 556 में नाम नोलसिंह पुत्र दुलेसिंह तथा खाता नम्बर 308 खसरा नम्बर 559 में नाम नलसिंह पुत्र दुलेसिंह दर्ज है। मेरा वास्तविक और सही रेकार्ड नाम नवलसिंह राजपूत पुत्र दुलसिंह जाति राजपूत अंकित है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन आवेदन, बैंक खाता समस्त में मेरा नाम नवलसिंह राजपूत पुत्र दुलसिंह दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में नाम नलसिंह व नोलसिंह होने के कारण समस्त प्रकार की दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण मैं प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ। राजकीय अनुदान प्राप्त करने वास्ते, मेरे खातेदारी खेत पर कृषि ऋण प्राप्त करने वास्ते आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि से मिलान नहीं होने के कारण मैं राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ प्रार्थी वादगत खेत खाता नम्बर 283 खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 10.9518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 7.2085 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 7.0314 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 25.1917 हैक्टेयर व खेत खाता नम्बर 308 खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 43.9715 हैक्टेयर रोही लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरु का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं उपरोक्त खाते एवं खसरे रोही लालगढ़ तहसील बीदासर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत कर अनुतोश चाहा की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही लालगढ़ के खेत खाता नम्बर 283 खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 10.9518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 7.2085 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 7.0314 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 25.1917 हैक्टेयर व खेत खाता नम्बर 308 खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 43.9715 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नाम नोलसिंह व नलसिंह की बजाय नवलसिंह राजपूत पुत्र दुलसिंह शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये।



उपखण्ड अधिकारी
(विद्यमान, चूरु)

लगातार.....3 पर


आदेश


प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर आदेश फरमाने की अनुंशषा की है, बाकी अप्रार्थीगण की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकार्ड शुद्धि का आदेश दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 10.9518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 7.2085 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 7.0314 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 25.1917 हैक्टेयर व खेत खाता नम्बर 308 खेत खसरा नम्बर 599 रकबा 43.9715 हैक्टेयर रोही लालगढ़ के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नाम नोलसिंह व नलसिंह की बजाय नवलसिंह राजपूत पुत्र दुलसिंह शुद्ध दर्ज किया जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर